

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1339/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.235-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(298)-2023

लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी0सी0 230-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द "अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है", के पश्चात् शब्द और अंक दिनांक "1 जनवरी, 2024 से" बढ़ा दिये जाएंगे और दिनांक 31 जुलाई, 2023 से बढ़ाये गये समझे जाएंगे।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव